

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या कॅम्पस वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 12-05-2022

स्थान : सभाकक्ष
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड दिलकुशा,
लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे।

उपस्थित :

- 1- डा० बिजेन्द्र सिंह , कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री अनुराग यादव, सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 3- श्री राजेश कुमार पाण्डेय , अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन , लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 4- डा० दीप्ति सोनकर ,एशोसिएट प्रोफेसर,महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पी०जो० कालेज नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ,उ०प्र०शासन। - सदस्य
- 5- श्री गंगा सागर राय, सदस्य प्रबन्ध परिषद - सदस्य
- 6- श्री नीरज श्रीवास्तव , वित्त नियंत्रक - सचिव


बैठक के प्रारम्भ में कुलपति/अध्यक्ष जी द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 10-12-2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि माननीय सदस्यों द्वारा की गयी।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 10-12-2021 में लिये गये निर्णय पर की गयी कृत कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त करते हुये निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी :-



वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 10-12-2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं० 04

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधनार्थ प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13-07-2021 के प्रस्ताव सं० 190:13 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07-07-2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली जिस पर प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13-07-2021 के प्रस्ताव सं० 190:3 में बिन्दुवार प्रदान की गयी सैद्धान्तिक सहमति के अनुसार निर्गत कार्यवृत्त के क्रम में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये बिन्दु सं० 1 से 6 तक के प्रस्ताव की पुष्टि की गयी एवं बिन्दु सं० 7 जो तकनीकी पदों से संबंधित है, के संबंध में यह अपेक्षा की गयी कि वित्तीय नियमों के आलोक में इसका परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा लिये गये निर्णय के संबंध में संशोधित प्रस्ताव आगामी वित्त उप समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव सं० 13

माननीय कुलपति एवं अतिथि आगंतुकों के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई-रिक्शा के कय एवं कय पर सम्मवित व्यय 5.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति एवं बाहर से आने वाले आगंतुकों के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई-रिक्शा का कय माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित धनराशि के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पा रहा है। वित्त उपसमिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि ई-रिक्शा का कय किया जाना आवश्यक हो तो आगामी बैठक में पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 12-05-2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या :3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के अनुमानित आय व्ययक परिशिष्ट-क के अनुसार प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या :4 भारत सरकार के वित्त पोषण से कृषि विज्ञान केन्द्र, बहराइच पर संचालित आकांक्षात्मक जनपद के अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज-1 वर्ष 2018-19 में नाडेप कम्पोस्ट पिट के 74 कृषकों का रू० 5.18 लाख के अनुदान का भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से भारत सरकार के वित्त पोषण से कृषि विज्ञान केन्द्र, बहराइच पर संचालित आकांक्षात्मक जनपद के अन्तर्गत कृषि कल्याण अभियान फेज-1 वर्ष 2018-19 में नाडेप कम्पोस्ट पिट के 74 कृषकों का रू० 5.18 लाख के अनुदान का भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पत्रांक File Number :SRG/2021/000904 दिनांक 10 November 2021 द्वारा स्वीकृत परियोजना "Assessment of determinants of bird assemblages across rural urban gradient in & around selected cities of Uttar Pradesh को विश्वविद्यालय में दो वर्ष के लिए संचालित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजना "Assessment of determinants of bird assemblages across rural urban gradient in & around selected cities of Uttar Pradesh को विश्वविद्यालय में दो वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :6 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चिकित्सालय हेतु एक एम्बुलेन्स वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णयार्थ

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित चिकित्सालय हेतु उपलब्ध एम्बुलेन्स के पंजीकरण की वैधता जुलाई 2022 को समाप्त हो रही है। परिसर चिकित्सालय में एक एम्बुलेन्स की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं / कर्मियों को अकस्मिक स्थिति में उपचार हेतु फैजाबाद /लखनऊ ले जाने में कोई असुविधा न उत्पन्न हो।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह संस्तुति प्रदान की गयी कि एम्बुलेन्स को निष्प्रयोज्य घोषित करने के उपरान्त एम्बुलेन्स की नीलामी कर वित्तीय नियमों के अधीन एक नई एम्बुलेन्स का क्रय विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से प्राप्त आय से किया जाय एवं वाहन का संचालन विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहन चालकों से कराया जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय । यह भी संस्तुति प्रदान की गयी कि पुरानी एम्बुलेन्स की नीलामी एवं नयी एम्बुलेन्स के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि तक आवश्यकतानुसार किराये पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था विश्वविद्यालय स्तर से की जाये।

प्रस्ताव संख्या :7 विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त चालक श्री मो० नियाज खाँ को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष को आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने की अनुमति शासन स्तर से प्राप्त न होने व अधिकांश कार्मिकों के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही । इसी क्रम में माननीय कुलपति महोदय के वाहन के संचालन हेतु कोई नियमित चालक उपलब्ध न होने के कारण सेवानिवृत्त वाहन चालक श्री मो० नियाज खाँ की सेवायें सेवानिवृत्त के उपरान्त ली जा रही है जिसकी दो वर्ष की अवधि दिनांक 03-06-2002 को पूर्ण हो जायेगी । श्री खाँ को 02 वर्ष से अधिक अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाया जाना आवश्यक है।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या : 8 महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अकबरपुर, अंबेडकरनगर के लिए नये वाहन का क्रय किये जाने का प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अकबरपुर, अंबेडकरनगर के कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु एक नये वाहन का क्रय किया जाना है। वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महाविद्यालय हेतु एक नये वाहन क्रय किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि महाविद्यालय में पूर्व से उपलब्ध वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलामी की कार्यवाही करने के उपरान्त ही वाहन का क्रय विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से प्राप्त आय से किया जाय तथा वाहन का संचालन विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहन चालकों से कराया जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय।

प्रस्ताव संख्या : 9 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के पत्रांक सं० 55/14/07/2021-बी०आर०एन०एस० /10986 दिनांक 04 जनवरी 2022 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजना

“ Radiation induced mutagenesis for the improvement of highly aromatic premium rice variety Kala Namak ” को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या : 10 विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक श्री राधेश्याम को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय।

उपर्युक्त प्रस्ताव को वित्त उपसमिति द्वारा अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव संख्या : 11 कुलसचिव कार्यालय में परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य गोपनीय कार्यों को कराने एक स्कार्पियो वाहन रिवाल्विंग फण्ड से क्रय करने पर विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किया जा चुका है। कुलसचिव कार्यालय के कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु एक नया स्कार्पियो वाहन का क्रय किया जाना है। वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुलसचिव कार्यालय हेतु एक नया स्कार्पियो वाहन क्रय किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि वाहन का क्रय कुलसचिव कार्यालय के चकीय निधि खाते से किया जाय तथा वाहन का संचालन विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाहन चालकों से कराया जाय तथा किसी नये पद का सृजन न किया जाय।

प्रस्ताव संख्या :12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra " को इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra " को विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :13 कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति " Development of Different Crop Residue Management Practices " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत " Development of Different Crop Residue Management Practices " परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :14 कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृति " Establishment of Solar Park and Solar Tree for Promoting Farmers /Small Entrepreneurs " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उप समिति द्वारा संदर्भित परियोजना हेतु शासन से स्वीकृति / अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव विचार एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :15 कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजनान्तर्गत स्वीकृति " Establishment of Seed processing unit to fulfill the demands of quality seed for increasing farmers income " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत "Establishment of Seed processing unit to fulfill the demands of quality seed for increasing farmers income" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या :16 कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजनान्तर्गत स्वीकृति " Strengthening and Modernization of Instructional Fish Farm at College of Fishries , A.N.D.U.A&T, Kumarganj , Ayodhya " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत " Strengthening and Modernization of Instructional Fish Farm at College of Fishries , A.N.D.U.A&T, Kumarganj, Ayodhya " परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



प्रस्ताव संख्या :17 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सब्जी विज्ञान प्रक्षेत्र पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 996445.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।


वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सब्जी विज्ञान प्रक्षेत्र पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई-निविदा से कराये जाने एवं इस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 996445.00 को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मुआवजा विश्वविद्यालय द्वारा क्य की गयी भूमि के सापेक्ष प्राप्त हुआ है न कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी जमीन के सापेक्ष प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति स्पष्ट होने तक अधिग्रहण के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजे से व्यय की कार्यवाही न की जाय। उक्त कार्य यदि अपरिहार्य हो तो यह कार्य विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से करा लिये जाने की भी संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा की गयी।

प्रस्ताव संख्या :18 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के उद्यान प्रक्षेत्र पर 2 फिट उंची दीवाल के साथ जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 997965.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के उद्यान प्रक्षेत्र पर 2 फिट उंची दीवाल के साथ जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई-निविदा से कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 997965.00 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्ति धनरशि रू0 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त मुआवजा विश्वविद्यालय द्वारा क्य की गयी भूमि के सापेक्ष प्राप्त हुआ है न कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी जमीन के सापेक्ष प्राप्त हुआ है। उक्त स्थिति स्पष्ट होने तक अधिग्रहण के फलस्वरूप प्राप्त मुआवजे से व्यय की कार्यवाही न की जायें। उक्त कार्य यदि अपरिहार्य हो तो यह कार्य विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से करा लिये जाने की भी संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा की गयी।

प्रस्ताव संख्या :19 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के खेल मैदान पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 898109.21 विश्वविद्यालय प्राप्ति से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के खेल मैदान पर जी0आई0 चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण ई-निविदा द्वारा कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू0 898109.21 विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने पर कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी है।





प्रस्ताव संख्या :20 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्वयं के श्रोतो से प्रस्तावित विभिन्न लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

उक्त प्रस्ताव द्वारा कुल 21 लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यों को कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष निम्नानुसार कुल 11 लघु निर्माण /अनुरक्षण कार्यों को उनके सम्मुख वर्णित सम्भावित व्यय की धनराशि को विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किये जाने की वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी :-


प्रस्ताव सं० 20 की क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत ₹० में
1	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर खेल मैदान पर स्थित रनिंग ट्रैक के किनारो पर ब्रिक एजिंग का निर्माण	205965/-
4	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित कालिन्दी एवं वरुणा छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	992060/-
5	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित ब्रह्मपुत्र, रोहिणी एवं हिरणावती छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	995200/-
6	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित डा० आर०एम० एल०इ० आण् बायोटेक्नालोजी के बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	970852/-
7	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर निर्मित चहारदीवारी के डेयरी प्रक्षेत्र से जी०पी०बी० प्रक्षेत्र तक के भाग की चहारदीवारी पर concertina wire fencing का निर्माण	994880/-
14	विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3.15 मीटर चौड़ा एवं 305 मी० लम्बे पुराने मार्ग का स्तर उचें करने एवं चौड़ाई 5 मी० किये जाने का कार्य	997003/-
15	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मण्डी परिषद द्वारा नवनिर्मित छात्रावास एवं राप्ती छात्रावास के पिछले भाग एवं सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के पिछले भाग की चहारदीवारी पर concertina wire fencing का निर्माण	915871/-
16	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के बाहरी भाग एवं चहारदीवारी की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	995470/-
18	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित गोमती एवं अचिरावती छात्रावासों के अवशेष बाहरी भाग की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	711353/-
19	विश्वविद्यालय के फसल अनुसंधान केन्द्र मसोधा पर स्थित कार्यालय भवन के छत एवं टवाचलेट की मरम्मत	997000/-
21	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर स्थापित किसान भवन-11 के भूतल के कमरों, गैलरी, टवाचलेट एवं डायनिंग हाल की मरम्मत एवं पुताई का कार्य ।	463000/-

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।


(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उपसमिति


(डा०बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।
पत्रांक ए०एन०डी०यू०ए०टी०/८/वि०उ०स० बैठक/लेखा/2022/192 दिनांक 13-05-2022
प्रतिलिपि -माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या
आय-व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2021-22 एवं अनुमान वर्ष 2022-23 (धनराशि लाख में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2021-22	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2022-23
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	5820.87	8587.06
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1356.74	2560.09
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	184.75	506.12
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ़	413.84	543.77
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	-	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना	147.86	624.36
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	7926.06	12833.40
2	राज्य सरकार पूँजीगत		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओं हेतु 75:25 प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	293.94	361.72
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	500.00	3300.00
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	14.07	16.67
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	-	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	25.00	100.00
छ	कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	171.35	300.00
ज	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1871.94	2834.25
	योग (राज्य सरकार पूँजीगत)	2876.30	6914.14
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	4949.40	4696.66
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	355.73	581.89

ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	29.12	100.00
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	42.21	50.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	7.48	50.00
छ	केन्द्रीय सहायता स्ट्रेन्थनिंग आफ डेवलपमेन्ट	154.99	500.00
ज	नाहेप योजना(NAHEP)	90.59	190.68
झ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	881.81	1085.17
ट	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	8.11	1016.99
ड	इन्टरशिप के भुगतान हेतु	9.80	15.00
ढ	शेडयूल कास्ट सब प्लान	29.50	50.00
	योग	6558.74	8336.39
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	156.63	83.08
	योग	156.63	83.08
5	चकीय निधि	561.15	973.60
	योग	561.15	973.60
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	18078.88	29140.61